रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

HR 17/12/88

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 607] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 29, 1988/अग्रहायण 8, 1910
No. 607] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 29, 1988/AGRAHAYANA 8, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 29 नवम्बर 1988

अधिसूचनाएं

सा. का. नि. 1105(अ)--केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 2 के खंड (45) और धारा 383क के साथ पठित धारा 642 के खंड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कंपनी (सचिव की अर्हताएं) नियम, 1975 को अधिक्रांत करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात -

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम (कंपनी सचिव की नियुक्ति और अर्हताएं) नियम, 1988 है,

(2) ये 1 दिसम्बर, 1988 को प्रवृत्त होंगे।

पूर्णकालिक सचिव की नियुक्ति आदि.

2. (1) प्रत्येक ऐसी कंपनी, जिसकी समादत्त पूंजी पच्चीस लाख रु० से कम न हो, एक पूर्णकालिक सचिव रखेगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन किसी भी ऐसे व्यक्ति को पूर्णकालिक सचिव नहीं नियुक्त किया जाएगा जो कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) के अधीन गठित भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का सदस्य नहीं है।

(3) कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी समादत्त पूंजी पच्चीस लाख रु० से कम हो किसी भी व्यक्ति को कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन सचिव के कर्तव्यों और अन्य सचिवीय या प्रशासनिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए पूर्णकालिक सचिव के रूप में नियुक्त कर सकेगी :

परन्तु कोई व्यक्ति तब तक नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जब तक कि उसके पास उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट अर्हताओं में से कोई एक या अधिक अर्हताएं न हों।

(4) किसी भी व्यक्ति को उपनियम (3) के अनुसरण में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास निम्नलिखित अर्हताओं में एक या अधिक अर्हताएं न हों, अर्थात् :--

(i) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) के अधीन गठित भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की सदस्यता;

(ii) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) के अधीन गठित भारतीय कंपनी सचिव संस्थान या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन 4 अक्तूबर, 1988 को नियमित और उसी अधिनियम की धारा 25 के अधीन अनुज्ञप्त पूर्वतर भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा पास कर रखी हो ;

(iii) किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली वाणिज्य या कारपोरेट सचिव कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि ;

(iv) किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त की गई विधि की उपाधि ;

(v) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अधीन गठित भारतीय चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट संस्थान की सदस्यता ;

(vi) लागत और संकर्म अकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1959 (1959 का 23) के अधीन गठित भारतीय लागत और संकर्म अकाउन्टेन्ट संस्थान की सदस्यता ;

(vii) किसी विश्वविद्यालय या प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद, कलकत्ता, बंगलौर या लखनऊ द्वारा प्रदत्त प्रबंध विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या डिप्लोमा ;

(viii) वाणिज्यिक व्यवहार संस्थान, दिल्ली प्रशासन द्वारा अनुदत्त कंपनी सचिव कार्य का पोस्ट डिप्लोमा या भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त निगम विधि और प्रबंध में डिप्लोमा;

(ix) उदयपुर विश्वविद्यालय द्वारा दिए जाने वाला कंपनी विधि और सचिवीय व्यवहार में स्नातकोत्तर

(x) पश्चिम बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961 (1961 का 26) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सचिव और प्रबंधक संगम, कलकत्ता की सदस्यता।

परंतु जहां ऐसी कंपनी का समादत्त पूंजी पच्चीस लाख रु. या अधिक हो जाए तो कोई ऐसा व्यक्ति को तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर नियम 2 के उपनियम (1) और (3) के उपबंधों का पालन करेगा।

स्पष्टीकरण — इस नियम में "विश्वविद्यालय" का वही अर्थ है जो उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) में दिया गया है और इसके अन्तर्गत भारत के बाहर का ऐसा विश्वविद्यालय भी आता है जिसे संघ या राज्य के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं और पदों पर भर्ती के प्रयोजनार्थ संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मान्यता दी गई है।

व्यावृत्ति शक्तियों से संबंधित उपबंध :

3. नियम 2 के उपनियम (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कंपनी (सचिव की अर्हताएं) नियम 1975 के नियम (2) के खंड (ङ) के दूसरे परन्तुक के निबंधनों के अनुसार 20 अक्तूबर 1988 से तुरंत पूर्व किसी कंपनी के पूर्णकालिक सचिव का पद धारित करने वाले व्यक्ति की अर्हताओं को ऐसी अर्हताओं के रूप में समझा जाएगा जिनका उस कंपनी में उस पद पर बने रहने का पात्र होने के लिए उसके पास होना अपेक्षित है।

[फा. सं. 1/23/87 सी एल-5]

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 29th November, 1988

NOTIFICATIONS

G.S.R. 1105(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of section 642 read with clause (45) of section 2 and section 383A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), and in supersession of the Companies (Secretary's Qualifications) Rules, 1975, the Central Government hereby makes the following rules namely :

Short Title and Commencement :

1. (1) These rules may be called the Companies (Appointment and Qualifications of Secretary) Rules, 1988 ;

(2) It shall come into force on the 1st day of December, 1988.

Appointment, etc. of whole-time secretary :

2. (1) Every company having a paid-up share capital of not less than rupees twenty-five lakhs shall have a whole-time secretary.

(2) No person shall be appointed as whole-time secretary under sub-rule (1) unless he is a member of the Institute of Company Secretaries of India constituted under the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980).

(3) A company having a paid-up share capital of less than rupees twenty-five lakhs may appoint any individual as its whole-time secretary to perform the duties of a secretary under the Companies Act, 1956 and any other ministerial or administrative duties :

Provided that no individual shall be eligible to be so appointed unless he possesses one or more of the qualifications specified in sub-rule (4).

(4) No individual shall be appointed as secretary pursuant to sub-rule (3) unless he possesses any one or more of the following qualifications, namely :—

(i) membership of the Institute of Company Secretaries of India constituted under the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980).

(ii) pass in the Intermediate examination conducted either by the Institute of Company Secretaries of India constituted under the Company Secretaries Act, 1980 (No. 56 of 1980), or by the earlier Institute of Company Secretaries of India incorporated on 4th October, 1968 under the Companies Act, 1956 (1 of 1956), and licensed under section 25 of that Act ;

(iii) Post graduate degree in commerce or corporate secretaryship granted by any University in India ;

(iv) degree in law granted by any university ;

(v) membership of the Institute of Chartered Accountants of India constituted under the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949);

(vi) membership of the Institute of Cost and Works Accountants of India constituted under the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959) ;

(vii) post graduate degree or diploma in management sciences, granted by any University, or the Institutes of Management, Ahmedabad, Calcutta, Bangalore or Lucknow ;

(viii) post diploma in company secretaryship granted by the Institute of Commercial Practice under Delhi Administration or Deploma in Corporate Laws and Management granted by the Indian Law Institute, New Delhi;

(ix) post graduate diploma in company law and secretarial practice granted by the University of Udaipur; or

(x) membership of the Association of Secretaries and Managers, Calcutta, registered under the West Bengal Registration of Societies Act, 1961 (XXVI of 1961) :

Provided that where the paid-up share capital of such company is increased to rupees twenty-five lakhs or more, the company shall, within a period of one year from the date of such increase, comply with the provisions of sub-rules (1) and (2) of rule 2.

Explanation : In this Rule, "University" has the meaning assigned to it in the University Grants Commission Act, 1956 (No. 3 of 1956) and includes any university outside India which is recognised by the Union Public Service Commission for the purposes of recruitment to public services and posts in connection with the affairs of the Union or of any State.

Provisions relating to existing secretaries :

3. Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2) of Rule 2, the qualifications possessed by a person holding the office of whole-time secretary of a company immediately before 30th October, 1980, in terms of the second proviso to clause (a) of Rule 2 of the Companies (Secretaries Qualifications) Rules, 1975, shall be deemed to be the qualifications which he shall be required to possess in order to be eligible to continue as whole-time secretary in that company.

[File No. 1|29|87-CL.V]

सा०का०नि० 1106 (अ) :—केन्द्रीय सरकार कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का 31) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 दिसम्बर 1988 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 2 (जहां तक वह "सचिव" की परिभाषा से संबंधित है) और धारा 53 के उपबंध प्रवृत्त होंगे ।

[फा० सं० 1/29/87-सा.एल-5]

वी० पी० गुप्ता, संयुक्त सचिव

G.S.R. 1106(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Companies (Amendment) Act, 1988 (31 of 1988), the Central Government hereby appoints the 1st day of December, 1988 as the date on which the provisions of section 2 (in so far as it relates to the definition of "secretary") and section 53 of the said Act shall come into force.

[F. No. 1|29|87-CL.V]

V. P. GUPTA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988